तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	विरेन्द्रराज बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 351 / 2022
14-11-2022	अपीलार्थी वीरेन्द्रराज मेहता, पता 6 ब 8, चौथा पुलिया चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08.20222 में (1) मेरे पीपीओ नं. 442143 के अन्तर्गत comutation Restoration बाबत् कौनसे वर्ष, महिने व दिन से शुरू हुई थी व कितने महिने तक काटी यानि कि Restoration बताईये comutation Restoration कब से जुडेगी व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर को प्रेषित की गई, जहां से जरिये पत्रांक प.4(243)(अपील पत्राचार)निपेवि / स्था / सू.अ. / 2005 / 22–23 / 3934–36R दिनांक 07.10.2022 के जरिये प्राप्त हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (कोषाधिकारी ग्रामीण जोधपुर) से जरिये पत्रांक 449 दिनांक 03.11.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी को वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोग्राजो / पेंशन / 2022 / 1385 दिनांक 04.10.2022 के माध्यम से भिजवाई जा चुकी है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।